11/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील रैस्पोंडेन्ट उप०। वकील अपीलांट को तीन बार आवाज लगाई गई। वकील अपीलांट अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया विदित हुआ कि रैस्पो० सं० 02 की मृत्यु दिनांक 03.01.2021 को हो चुकी है। रैस्पो० वकील ने पूर्व में दिनांक 10.02.2021 को प्रार्थना पत्र के संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया था। वकील अपीलांट ने आदिनांक तक मृतक रैस्पो० 2 के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने की जानकारी होने के बावजूद CPC के प्रावधानों के अनुसार 90 दिनों की समय सीमा बीत जाने के बाद भी ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जिस कारण रैस्पो० न० 2 के जायज वारिसान

P.T.O.

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व ... के ...
	को शामिल मिसल / रिकार्ड पर नहीं लिया है। तथा अपील मे पूर्व मे किए गए आदेश शेष रेस्पोन्डेन्टान की तलबी बाबत समन पेश नहीं किए है। अत: उक्त अपील अदम हाजरी / अदम पैरवी, अदम तकमील व Abatement के आधार पर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।	